# येदियुरप्पा ने नए मंत्रियों को विभाग आबंटित किए

बंगलुरु, 21 जनवरी (भाषा)।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने के एक हफ्ते बाद गुरुवार को सात नए मंत्रियों को विभाग आबंटित किए और कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया।

नए मंत्रियों में उमेश कट्टी को खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले तथा एस अंगारा को मत्स्य, बंदरगाह और अंतर्देशीय परिवहन विभाग दिए गए हैं। राज्यपाल की सहमति से जारी आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, मुरुगेश निरानी खान भूविज्ञान मंत्री होंगे तथा अरविंद लिंबावली को वन विभाग मिला है। अन्य मंत्रियों में, आर शंकर को नगर निकाय प्रशासन और रेशम उत्पादन विभाग मिला है जबकि एमटीबी नागराज आबकारी मंत्री और सीपी योगेश्वर लघु सिंचाई विभाग के मंत्री होंगे। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण फेरबदल में, जेसी मधुस्वामी से कानून, संसदीय मामलों, विधायी मामले और लघु सिंचाई विभाग ले लिए गए हैं और उन्हें चिकित्सा शिक्षा, कन्नड़ और संस्कृति विभाग आबंटित किए गए हैं।

येदियुरप्पा मंत्रिमंडल में मधुस्वामी एक प्रमुख मंत्री की हैसियत रखते हैं जो विधानसभा में सरकार का मजबूती से बचाव करते रहे हैं। गृह मंत्री बसवराज बोम्मई को कानून, संसदीय कार्य और विधायी विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आनंद सिंह से वन विभाग वापस ले लिया गया है और उन्हें अब पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी के अलावा पर्यटन विभाग दिया गया है, जबकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के सुधाकर से चिकित्सा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है।

---

**अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण यूटीएम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) की बिक्री हेतु एक चालू कन्सर्न के रूप में**
**[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 32 (ई) एवं (एफ) के अधीन]**

एतदद्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है तथा भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 32 (ई) एवं (एफ) के अनुसार कार्पोरेट देनदार की एक चालू कन्सर्न के रूप में "जैसी है जहां है", "जो है जैसी है" तथा "जो है वहां है" तथा "कोई वापसी नहीं" के आधार पर बिक्री के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति नीचे दिए विवरण के अनुसार आमंत्रित की जाती है :

**संबंधित विवरण**

| | |
|---|---|
| 1. कार्पोरेट देनदार का नाम | यूटीएम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 2. पंजीकृत कार्यालय | प्लॉट नंबर 26/27/28, गली नंबर 2, ब्लॉक बी उग्रसेन पार्क, नांगलोई रोड, नजफगढ़, साउथ वेस्ट दिल्ली–110043 |
| 3. प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है | रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज – दिल्ली |
| 4. कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या | U14107DL2014PTC270321 |
| 5. ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज जारी करने की अंतिम तिथि | 5 फरवरी, 2021 |
| 6. ई–नीलामी की अंतिम तिथि | 25 फरवरी, 2021 |

**प्रस्तावित निपटान वारंटियों और क्षतिपूर्तियों के बगैर है।**

1. इच्छुक आवेदकों को किसी अनुसूचित कॉमर्शियल बैंक से आरटीजीएस, डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंक गारंटी के माध्यम से रू. 5,00,000.00 (रूपए पांच लाख मात्र) की ब्याज रहित प्रतिदेय धरोहर राशि जमा ("ईएमडी") का भुगतान कर ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्राप्त करना चाहिए। बैंक गारंटी का फार्मेट utm.liquidator@gmail.com पर मेल भेज कर प्राप्त किया जा सकता है। कार्पोरेट देनदार का बैंक खाता विवरण यहां नीचे दिया गया है :

   **बैंक – यस बैंक लिमिटेड**
   **खाता नंबर – 026885700001609** **शाखा – कलानगर, बान्द्रा, मुंबई–400051**
   **आईएफएससी कोड – YESB0000268**
2. ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज इस आमंत्रण के प्रकाशन के लगभग 15 दिन बाद जारी किया जाएगा।
3. ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज प्राप्त करने और ई–नीलामी में भाग लेने हेतु ईएमडी जमा करना अनिवार्य है।
4. ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज में कम्पनी/कार्पोरेट देनदार की आस्तियों का विवरण, ऑनलाइन ई–नीलामी के नियम एवं शर्तें, ई–नीलामी बोली प्रपत्र, ग्राह्यता मानदंड, निष्पादन प्रतिभूति, बोलीदाताओं द्वारा घोषणा, ई–नीलामी सेवा प्रदाता का विवरण और कार्पोरेट देनदार के साथ संबंधित अन्य संबद्ध जानकारी दी जाएगी।
5. परिसमापक को किसी भी समय इस आमंत्रण के किसी भी नियम और शर्त को स्वीकार या निरस्त अथवा विस्तारित अथवा संशोधित करने का अधिकार है।

कान्ति मोहन रूस्तागी (परिसमापक)
रजिस्ट्रेशन नंबर : IBBI/IPA-002/IP-N00097/2017-18/10240
रजिस्टर्ड ई–मेल : kanti.rustagi@patanjaliassociates.com
पत्राचार हेतु ई–मेल आईडी : utm.liquidator@gmail.com

तिथि : 21.01.2021
स्थान : नई दिल्ली

---

# कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी को मादक पदार्थ मामले में मिली जमानत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 जनवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने मादक पदार्थ रैकेट मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को गुरुवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ के एक पीठ ने मामले में अभिनेत्री व अन्य को जमानत नहीं देने से संबंधित कर्नाटक हाईकोर्ट के पिछले साल तीन नवंबर के फैसले को रद्द कर दिया। मादक पदार्थों पर रोकथाम संबंधी एनडीपीएस कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान द्विवेदी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि अभिनेत्री जेल में है जबकि तीन अन्य सह आरोपी जमानत पर बाहर हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल दो दिसंबर को द्विवेदी को गिरफ्तार किया गया था जबकि उनके पास से मादक पदार्थ की बरामदगी नहीं हुई। उन्होंने मामले से जुड़े कई कानूनों का हवाला देते हुए जमानत का अनुरोध किया।

---

**ICICI Bank**

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एनबीसीसी प्लेस, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगती विहार, नई दिल्ली- 110003
पंजीकृत कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक टॉवर, चकली सर्किल के पास, ओल्ड पद्रा रोड, वडोदरा-390007
कॉर्पोरेट कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टॉवर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (ईस्ट) मुम्बई-400051

## सार्वजनिक सूचना- अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियमावली) के नियम 8(6) एवं 9(1) के साथ सपठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (अधिनियम) के अंतर्गत प्रतिभूति आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी सूचना।

यत: आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (''आईसीआईसीआई बैंक'') के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002(अधिनियम) की धारा 13(12) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 (नियमावली) के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत एक मांग सूचना दिनांक 19.09.2020 को जारी की जिसमें **उन्नती फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड (ऋणी/बंधककर्ता-I), आईवीआरसीएल अरब्या प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (जमानतदार-I / बंधककर्ता-II), आईवीआर प्राइम आईटी सेज प्राइवेट लिमिटेड (जमानतदार-II / बंधककर्ता-III), फॉर्च्यून इंफ्राहाईट (प्राइवेट) लिमिटेड (जमानतदार-III / बंधककर्ता-IV), श्री अनिल मिवस (जमानतदार- IV) और श्रीमती मधु मिवस (जमानतदार- V)** से सूचना में वर्णित राशि दिनांक 30.06.2020 तक बकाया + दिनांक 1 जुलाई, 2020 से चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर अनुबंध की दरों से आगे के ब्याज, लागत एवं अन्य शुल्कों सहित राशि का पुनर्भुगतान होने तक नोटिस की दिनांक से 60 दिनों के भीतर करने हेतु मांग की गई थी।

हालांकि, जमानतदार-III / बंधककर्ता-IV की देनदारी भारतीय रूपये 417.3 मिलियन (चार सौ सत्रह एवं तीन मिलियन मात्र) 30 जून, 2020 तक (आरटीएल-II बकाया) के मियादी ऋण में रूपये बकाया ऋण तक सीमित है और जमानतदार-III / बंधककर्ता-IV की देनदारी आरटीएल-II बकायों के विरुद्ध बकायो की सीमा तक सीमित है, इसलिए आईसीआईसीआई बैंक जमानतदार-III / बंधककर्ता-IV के विरुद्ध अपने दावे को केवल आरटीएल-II बकाया राशि तक सीमित कर रहा है। ऋणियों/बंधककर्ताओं/प्रतिभूत प्रदाताओं/ जमानतदारों द्वारा उपरोक्त वर्णित बकाया राशियो का भुगतान करने में असफल रहने पर ऋणियों/बंधककर्ताओं/प्रतिभूत प्रदाताओं/ जमानतदारों तथा आमजन को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित सम्पत्ति का भौतिक कब्जा आईसीआईसीआई बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) व सपठित नियम 8 के अन्तर्गत दिनांक 07 जनवरी, 2021 को कब्जा ग्रहण कर लिया है।

आईसीआईसीआई बैंक के कब्जे में निम्नवर्णित प्रतिभूत आस्ति की बिक्री हेतु जहां है, जैसी है, जो कुछ भी है, एवं दायित्व रहित के आधार पर आईसीआईसीआई बैंक के बकाया रू. 417.3 मिलियन दिनांक 30 जून, 2020 तक की वसूली हेतु (नीचे दिए गए विवरण अनुसार) इच्छुक व्यक्तियों/भागीदारों से ई-नीलामी सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजिज लिमिटेड जरिये वेब पोर्टल **https://icicibank.auctiontiger.net** द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2021 को अथवा इससे पूर्व प्रस्ताव आमंत्रित करता है, जो ऑनलाईन जमा होंगे।

**अनुसूची**

| अचल सम्पत्तियों का विवरण | आरक्षित मूल्य रू. में | जमा धरोहर राशि रू. में | बोली वृद्धि राशि (रू. में) | सम्पत्ति निरीक्षण की दिनांक व समय | धरोहर राशि जमा कराने की अंतिम दिनांक | ई-नीलामी की दिनांक व समय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लीजहोल्ड सम्पत्ति जिसका क्षेत्रफल 1010 वर्गमीटर है जो प्लॉट नं. 117, ब्लॉक-बी, सेक्टर-67, नोएडा, उत्तरप्रदेश में स्थित है। (प्रतिभूत आस्ति) | 5,82,56,250/- | 58,25,625/- | 5,00,000/- | 08 फरवरी, 2021 प्रात: 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक | 26 फरवरी, 2021 सांय 5.00 बजे तक | 01 मार्च, 2021 (प्रात: 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे के मध्य) 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित |

नियम व शर्तें:- 1.यत: आईसीआईसीआई बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त प्रतिभूत संपत्तियों का निपटारा करने का निश्चय किया है तथा इस संदर्भ में बिक्री का यह नोटिस आज प्रकाशित किया गया है कि उपरोक्त अनुसूचि में वर्णित प्रतिभूत संपत्तियों की ऑनलाईन नीलामी के जरिये दिनांक 01.03.2021 को प्रात: 11 बजे (उपरोक्त वर्णित अनुसूची में समय के दौरान) को बेच दी जायेगी। 2.ऑनलाईन नीलामी, नीलामी एजेन्सी की वेबसाईट अर्थात् **https://icicibank.auctiontiger.net** पर दिनांक 01.03.2021 को प्रात: 11:00 से दोपहर 01:00 बजे के मध्य 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ आयोजित की जायेगी। ऑनलाईन नीलामी जरिये मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजिज लिमिटेड द्वारा आयोजित होगी एवं नियम व शर्तों का विवरण ई-नीलामी दस्तावेज में जो कि नीलामी एजेंसी की वेबसाईट अर्थात् https://icicibank.auctiontiger.net में उपलब्ध है। 3. बन्धककर्ता/जमानतदारों/ऋणी को विशेषतया तथा जनसामान्य को साधारणतया सचेत एवं प्रतिबन्धित किया जाता है कि वे उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत प्रतिभूत संपत्ति में कोई लेनदेन ना करें तथा सुरक्षित संपत्ति में किया गया कोई लेनदेन आईसीआईसीआई बैंक लि. की राशि एवं अन्य ब्याज के अधीन होगा। 4. ऋणीयों/बन्धककर्ताओ/जमानतदारों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन हेतु उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। 5. धरोहर राशि रूपये 58,25,625/- होगी एवं अन्य संबंधित दस्तावेज दिनांक 26.02.2021 को अथवा इससें पूर्व निविदा दस्तावेज मुहरबंद लिफाफे में उपलिखित सम्पत्ति को खरीदने के लिये श्री/सुश्री/श्रीमती के प्रस्ताव' के साथ अचल सम्पत्ति जो नोएडा, उत्तरप्रदेश में फॉर्च्यून इंफ्राहाईट प्राईवेट लिमिटेड एवं बंधककर्ता के नाम से आईसीआईसीआई बैंक के पक्ष में जो प्राधिकृत अधिकारी आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, सी-134 बी, सेक्टर 61, सुपरटेक शॉपप्रिक्स मॉल, गौतमबुद्ध नगर, नोएडा- 201307 पर पहुंचनी आवश्यक है। धरोहर राशि का पे-ऑर्डर/डिमाण्ड ड्रॉफ्ट अनुसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंक पर आहरित ''आईसीआईसीआई बैंक लि.'' के पक्ष में नई दिल्ली पर देय होनी चाहिए। धरोहर राशि यदि बोली सफल नहीं होती है तो लौटाने योग्य है। 6. सफलतम बोलीदाता को प्रस्तावित मूल्य का धरोहर राशि घटाने के उपरान्त 25 प्रतिशत उसी दिवस को या अगले कार्य दिवस तक किसी भी परिस्थिति में आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा विक्रय की पुष्टि होने पर जमा करानी होगी तथा शेष 75 प्रतिशत तथा अन्तिम राशि आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विक्रय पुष्टि के 15 दिवस तक या उससे पूर्व, यदि 15वां दिवस रविवार या अन्य कोई अवकाश का दिवस है तो 15वें दिवस के पश्चात प्रथम कार्यदिवस पर या क्रेता तथा प्रतिभूत लेनदार के मध्य आपसी सहमति से लिखित में कि गई समयावृद्धि के भीतर जो किसी भी परिस्थिति में तीन महिनें से ज्यादा न हो के भीतर भुगतान करना आवश्यक है। सफलतम बोलीदाता की ओर से कोई भी चूक होने पर धरोहर राशि सहित समस्त राशि जप्त कर ली जायेगी। पे-ऑर्डर/डिमाण्ड ड्रॉफ्ट /चैक/अनुसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंक पर आहरित ''आईसीआईसीआई बैंक लि.'' के पक्ष में दिल्ली पर देय होनी चाहिए। आयकर नियमों के अनुसार नीलामी राशि का @ 0.75 प्रतिशत टीडीएस क्रय मूल्य रू. 50 लाख से अधिक होने पर सफलतम नीलामीक्रेता द्वारा देय है। 7.अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार उपरोक्त अनुसूची में वर्णित सुरक्षित संपत्तियों का विवरण सही है, जिसके लिए वह किसी भी गलती, गलत बयानबाजी या त्रुटि हेतु वह उत्तरदायी नहीं होगा। प्रस्तावकर्ता/संभावित बोलीदाता/क्रेता को नियम और शर्तों का पालन करना होगा, जो पट्टा विलेख दिनांक 04 जून, 2007 और हस्तांतरित विलेख दिनांक 25 मई, 2011 में निर्दिष्ट है। प्रस्तावकर्ता/संभावित बोलीदाता/क्रेता को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियां प्रभारों सहित बेची जायेगी तथा बकाया किसी भी वैधानिक अधिकरण (यदि कोई है तो) के है तो, उनके हित में यह प्रार्थना की जाती है कि वे स्वयं के हित में, उपरोक्त के संबंध में तथा अन्य उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियों हेतु संबंधित विवरण के लिए अपने प्रस्ताव जमा कराने से पूर्व संतुष्ट कर लें। 8. किसी भी अन्य स्पष्टीकरण यथा निरीक्षण, नीलामी की नियम व शर्तों या निविदा जमा कराने हेतु कृपया आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, दिनेश गुप्ता/राहुल शर्मा , मो. 8800894646 अथवा 9999037191 या लिखें **dinesh.gu@icicibank.com** अथवा **rah.sharma@icicibank.com** पर संपर्क करें। 9. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये एवं सूचना के समस्त अथवा किसी एक बोली को निरस्त अथवा रदद करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है। 10. कोई भी वैधानिक अन्य देय बकाया तथा सम्पत्ति पर बकायें उपलब्ध कानून के प्रावधानों के अनुसार क्रेता द्वारा वहन किये जायेंगे। 11. यह अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त खातें के ऋणीयों/जमानतदारों/बन्धककर्ताओं को बन्धक सम्पत्तियों की कथित दिनांकों को विक्रय के संदर्भ में 30 दिवसों की आवश्यक सूचना भी है।

प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक- 22.01.2021, स्थान- नोएडा
वास्ते आईसीआईसीआई बैंक लि.

---

**इण्डियन ओवरसीज़ बैंक**

गतुका लोडगे गोविंद गंज
शाहजहांपुर
Email: iob2801@iob.in

## कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) (नियम 8 (1))

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढते हुए अनुच्छेद 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/ ऋणियों/ बंधककर्ता को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शायें गयें खाते मे उनके नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख / उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था। ऋणी/ ऋणियों द्वारा राशि अदा करने मे असफल रहने पर ऋणी/ ऋणियों और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम–8 के साथ पढते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति/ सम्पत्तियों का कब्जा **20 जनवरी 2021** ले लिया है। ऋणी/ ऋणियों को विशेष रूप से एवं जन समान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति/ सम्पत्तियों के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का लेन–देन न करे। इन सम्पत्ति/ सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन–देन इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज एवं अन्य चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। मांग नोटिस जारी करने के बाद भुगतान की तारीख, अगर कोई हो, की मांग नोटिस में उल्लेखित तारीख से कब्जा लेने की तारीख के अनुसार देय बकाया अनुबंध की दरों पर और ब्याज, शुल्क आदि, भुगतान की तिथि तक देय राशि के साथ देय है।

ऋणकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 के उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो उनके लिए उपलब्ध समय के संबंध में सुरक्षित संपत्ति को भुनाते हैं

| क्र0 सं0 | ऋणी / बंधककर्ता व गारन्टर का नाम व पता | बंधक सम्पत्ति का विवरण | मांग नोटिस की तारीख | कब्जा नोटिस की तारीख | कब्जा नोटिस के अनुसार बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **मोहम्मद अब्दुल सईद खान (बंधककर्ता/ऋणकर्ता)** पता – 47, डॉ. सहाबुद्दीन क्लिनिक, महमंद जाब्ला, शाहजहाँपुर और **श्री मुमताज अली पुत्र मुकद्दर (गारंटर)** 730 इमंजाई जलालनगर शाहजहाँपुर | संपत्ति के सभी भाग और पार्सल स्थित टीपी नंबर 36/बी, महमंद जांगला शाहजहाँपुर 242001, संपत्ति मोहम्मद अब्दुल सईद खान के नाम, क्षेत्रफल 26.74 वर्ग मीटर, **सीमायें**:– उत्तर: रास्ता मुस्तर्का कच्चा, दक्षिण: श्री सलीम का मकान, पूर्व: मो अब्दुल सईद खान का निर्माणाधीन भवन, पश्चिम: लोहारो वाला चौराहा से हदफ चौकी रोड | 09.12.2019<br>मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि<br>रू 286781.83 + अगामी ब्याज (30.11.2019 से) + अन्य शुल्क | 20.01.2021 | रू 292145.53 (20.01.2021 से) + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क |
| 2. | **श्री अनिल वर्मा** पुत्र श्री मदन लाल वर्मा और **श्री मनोज कुमार** पुत्र श्री मदन लाल वर्मा (ऋणकर्ता) और **श्रीमती राम बेटी** पत्नी श्री मदन लाल वर्मा (बंधककर्ता/गारंटर) 335 चमकनी, घण्टाघर शाहजहाँपुर | संपत्ति के सभी भाग और पार्सल स्थित चमकनी, बहादुरगंज शाहजहाँपुर 242001, संपत्ति श्रीमती रामबेटी पत्नी श्री मदन लाल वर्मा के नाम, क्षेत्रफल 151.69 वर्गमीटर, **सीमायें**:–पूर्व: घण्टा घर से लक्की मंडी रोड, पश्चिम: घंटा घर से बहादुर रोड, उत्तर: श्री गौरव की दुकान और श्री दुआ का मकान (प्लाई वाले), दक्षिण: श्री रामस्वरूप की दुकानें और श्री गुप्ता जी का मकान | 18.12.2019<br>मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि<br>रू 341181.65 + अगामी ब्याज (30.11.2019 से) + अन्य शुल्क | 20.01.2021 | रू 253324.65 (20.01.2021 से) + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क |
| 3. | **मैसर्स माँ पूर्णागिरि ऑटोमोबाइल, प्रोप. स्वर्गीय श्री सुरेश सिंह (ऋणकर्ता/ बंधककर्ता)** और श्री सुरेश कुमार की मृत्यु के बाद, सभी कानूनी उत्तराधिकारी–<br>1. **सावित्री देवी** पत्नी स्वर्गीय शारदा बकस सिंह निवासी हयातपुरा दुर्गा कॉलोनी शाहजहाँपुर<br>2. **श्रीमती अरुणा देवी** पत्नी स्वर्गीय सुरेश सिंह निवासी हयातपुरा दुर्गा कॉलोनी तहसील सदर शाहजहांपुर।<br>3. **श्री राज कुमार सिंह** पुत्र स्वर्गीय सुरेश सिंह निवासी हयातपुरा दुर्गा कॉलोनी तहसील सदर शाहजहाँपुर।<br>4. **श्री चंद्रभान सिंह** पुत्र स्वर्गीय सुरेश सिंह निवासी हयातपुरा दुर्गा कॉलोनी तहसील सदर शाहजहांपुर।<br>5. **श्री अशोक कुमार सिंह** पुत्र स्वर्गीय सुरेश सिंह निवासी हयातपुरा दुर्गा कॉलोनी तहसील सदर शाहजहांपुर।<br>6. **श्रीमती कनक सिंह** पत्नी गीतेंद्र सिंह पुत्री स्वर्गीय सुरेश सिंह निवासी हयातपुरा दुर्गा कॉलोनी तहसील सदर शाहजहांपुर।<br>7. **कुमारी कंचन सिंह** पुत्री स्वर्गीय सुरेश सिंह निवासी हयातपुरा दुर्गा कॉलोनी तहसील सदर शाहजहांपुर। **(बंधककर्ता/कानूनी उत्तराधिकारी)** | संपत्ति के सभी भाग और पार्सल स्थित मौहल्ला हयातपुरा, दुर्गा कॉलोनी शाहजहाँपुर 242001, क्षेत्रफल 102.00 वर्गमीटर, **सीमायें**:– उत्तर: श्री ओम प्रकाश शर्मा का मकान, दक्षिण: श्री ओम प्रकाश का मकान, पूर्व: सीसी लेन, पश्चिम श्री भूरा पंडित का मकान | 23.12.2019<br>मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि<br>रू 1152990.98 + अगामी ब्याज (30.11.2019 से) + अन्य शुल्क | 20.01.2021 | रू 1284193.98 (20.01.2021 से) + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क |
| 4. | **सद्दाम हुसैन पुत्र मोहम्मद सुआले (ऋणकर्ता) और सलमा पत्नी मोहम्मद सुआले (बंधककर्ता/ गारंटर)** तारीन जलालनगर शाहजहाँपुर | संपत्ति के सभी भाग और पार्सल स्थित ग्राम जलालनगर नगरपालिका की सीमा से बाहर शाहजहाँपुर 242001, संपत्ति सलमा पत्नी सुआले के नाम , क्षेत्रफल 140.00 वर्ग मीटर, **सीमायें**:– पूर्व: विक्रेता राजेश गुप्ता आदि के प्लॉट, पश्चिम: विक्रेता राजेश गुप्ता आदि के प्लॉट, उत्तर: विक्रेता राजेश, गुप्ता और अन्य के प्लॉट दक्षिण: कच्ची गली और मार्ग | 26.06.2020<br>मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि<br>रू 117685.00 + अगामी ब्याज (30.05.2020 से) + अन्य शुल्क | 20.01.2021 | रू 124438.00 (20.01.2021 से) + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क |
| 5. | **मोहम्मद सलीम अंसारी पुत्र बसीर अहमद (ऋणकर्ता / बंधककर्ता) और शबाना पत्नी मोहम्मद सलीम (गारंटर)** 122 चोक आला खान शाहजहाँपुर | संपत्ति के सभी भाग और पार्सल स्थित मौहल्ला बादुजई प्रथम शाहजहाँपुर 242001, संपत्ति सलीम अंसारी पुत्र बेसर अहमद के नाम, क्षेत्रफल 140.00 वर्ग मीटर, **सीमायें**:– पूर्व: रास्ता खड़ंजा, पश्चिम: बबन खान का मकान, उत्तर: मोहम्मद शेर अली खान उर्फ पच्चू का मकान, दक्षिण: रास्ता खड़ंजा | 26.06.2020<br>मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि<br>रू 144312.90 + अगामी ब्याज (30.05.2020 से) + अन्य शुल्क | 20.01.2021 | रू 157061.90 (20.01.2021 से) + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क |

दिनांक– 21.01.2021 स्थान– शाहजहांपुर प्राधिकृत अधिकारी

---

दिल्ली पुलिस
शांति सेवा न्याय

# यातायात निर्देशिका

## गणतंत्र दिवस फुल ड्रेस रिहर्सल

## 23 जनवरी, 2021

आपका सहयोग

**परेड रुट :– विजय चौक ▶ राजपथ ▶ अमर जवान ज्योति ▶ इंडिया गेट ▶ आर/ए प्रिंसेस पैलेस ▶ टी/एल तिलक मार्ग रेडियल रोड ▶ "सी" हेक्सागन पर दाएं मुड़ें ▶ बाएं मुड़ें और गेट नंबर 1 से नेशनल स्टेडियम में प्रवेश करें।**

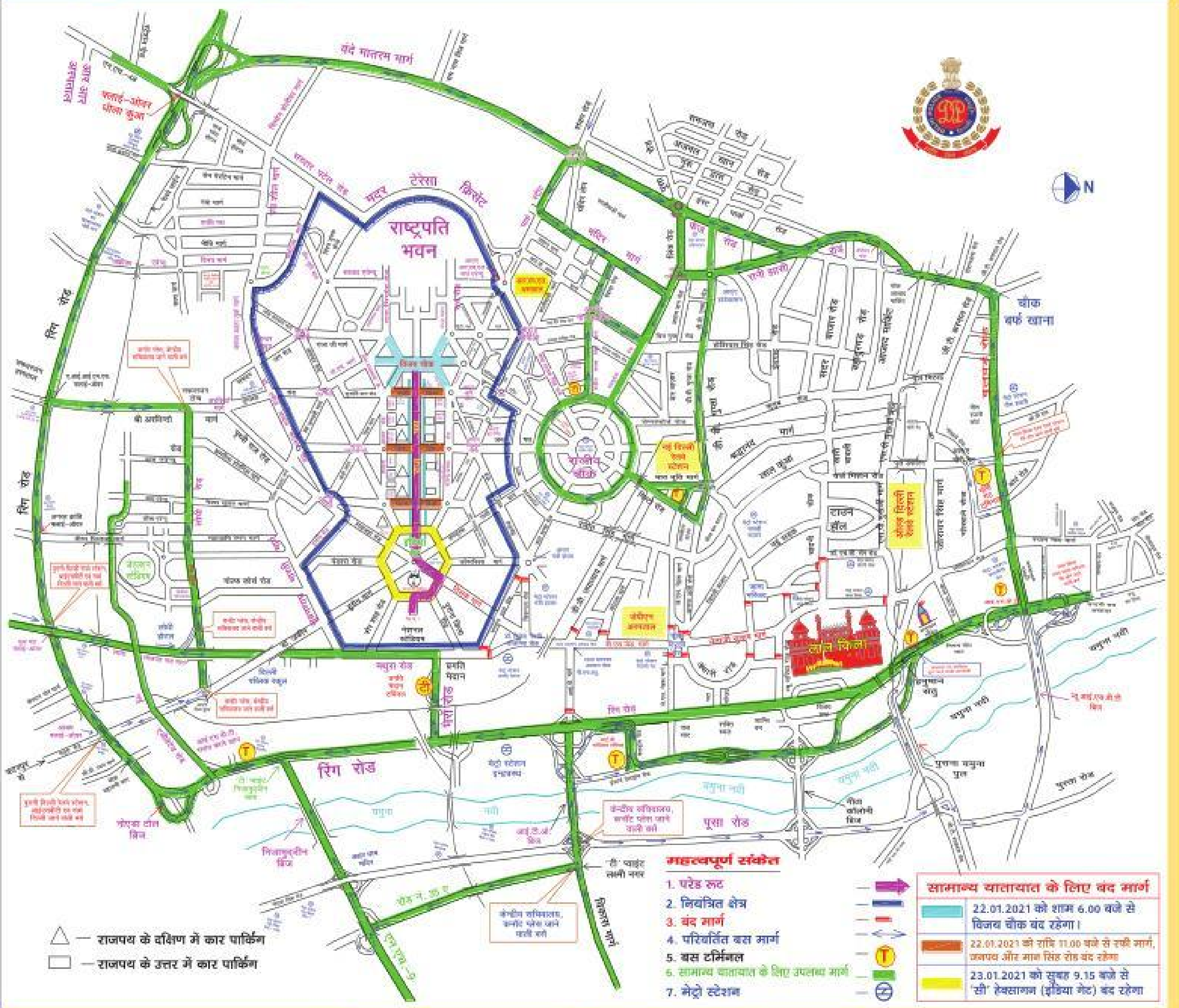
वंदे मातरम मार्ग
राष्ट्रपति भवन
चौक बर्फ खाना
रिंग रोड
△ — राजपथ के दक्षिण में कार पार्किंग
▭ — राजपथ के उत्तर में कार पार्किंग
महत्वपूर्ण संकेत
1. परेड रुट
2. नियंत्रित क्षेत्र
3. बंद मार्ग
4. परिवर्तित बस मार्ग
5. बस टर्मिनल
6. सामान्य यातायात के लिए उपलब्ध मार्ग
7. मेट्रो स्टेशन
सामान्य यातायात के लिए बंद मार्ग
22.01.2021 को शाम 6.00 बजे से विजय चौक बंद रहेगा।
22.01.2021 की रात्रि 11.00 बजे से रफी मार्ग, जनपथ और मान सिंह रोड बंद रहेगा
23.01.2021 को सुबह 9.15 बजे से 'सी' हेक्सागन (इंडिया गेट) बंद रहेगा

**गणतंत्र दिवस समारोह–2021** के उपलक्ष्य में **23 जनवरी, 2021** को **फुल ड्रेस रिहर्सल** होगी। परेड रिहर्सल 23.01.2021 को **प्रात: 9.50 बजे विजय चौक** से प्रारंभ होगी और **नेशनल स्टेडियम** पर समाप्त होगी। परेड मार्ग के सुचारू संचालन के लिए कुछ मार्गों पर यातायात विस्तारित एवं प्रतिबंधित रहेगा।

### यातायात प्रतिबंध

परेड को सुचारू रूप से चलाने के लिए परेड मार्ग की ओर जाने वाली कुछ सड़कों पर यातायात के आवागमन को निम्नानुसार प्रतिबंधित किया जाएगा:

(1) विजय चौक पर 22 जनवरी, 2021 को शाम 6.00 बजे से 23 जनवरी, 2021 को परेड की समाप्ति तक यातायात प्रतिबंधित रहेगा।

(2) रफी मार्ग, जनपथ, मान सिंह रोड पर 22 जनवरी, 2021 को रात्रि 11.00 बजे से परेड की समाप्ति तक राजपथ की ओर यातायात की अनुमति नहीं होगी।

(3) 'सी'–हेक्सागन–इंडिया गेट 23.01.2021 को प्रात: 9.15 बजे से परेड एवं झांकियों के नेशनल स्टेडियम में प्रवेश करने तक यातायात के लिए बंद रहेगा।

सड़क पर चलने वाले लोगों से अनुरोध है कि वे अपनी सुविधा के लिए पहले ही अपनी यात्रा की योजना बना लें और सुबह 09.00 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक परेड के रास्ते पर जाने से बचें।

### वैकल्पिक मार्ग

**फिर भी अगर यात्रा अनिवार्य है तो सड़क उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित मार्गों के उपयोग करने की सलाह दी जाती है:**

**उत्तर से दक्षिण एवं इसके विपरीत:**
- रिंग रोड – आश्रम चौक – सराय काले खां – आई.पी. फ्लाईओवर – राजघाट – रिंग रोड
- मदरसा से – लोधी रोड 'टी' प्वाइंट – अरबिन्दो मार्ग – एम्स चौक – रिंग रोड – धौला कुआं – वंदे मातरम मार्ग – शंकर रोड – शेख मुजिबुर रहमान रोड या मंदिर मार्ग

**पूर्व से पश्चिम एवं इसके विपरीत:**
- रिंग रोड – भैरों रोड – मथुरा रोड – लोधी रोड – अरबिन्दो मार्ग – एम्स चौक – रिंग रोड – धौला कुआं – वंदे मातरम मार्ग – शंकर रोड – शेख मुजिबुर रहमान रोड या मंदिर मार्ग
- रिंग रोड – बुलेवार्ड रोड – बर्फ खाना चौक – रानी झांसी फ्लाईओवर – फैज रोड – वंदे मातरम मार्ग –आर/ए शंकर रोड
- रिंग रोड – आईएसबीटी – चंदगी राम अखाड़ा – आई.पी. कॉलेज – माल रोड – आजादपुर – पंजाबी बाग

**नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए:**
- दक्षिणी दिल्ली से : धौला कुआं – वंदे मातरम मार्ग – पंचकुईया रोड – आउटर सर्किल कनाट प्लेस – चेल्मस्फोर्ड रोड पहाड़गंज की तरफ या मिन्टो रोड – भवभूति मार्ग अजमेरी गेट की तरफ।
- पूर्वी दिल्ली से : आईएसबीटी ब्रिज होते हुए बुलेवार्ड रोड – रानी झांसी फ्लाईओवर – आर/ए झंडेवालान – डी. बी. गुप्ता रोड – शीला सिनेमा रोड – पहाड़गंज ब्रिज होते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचें।

**पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए:**
- दक्षिणी दिल्ली से : रिंग रोड – आश्रम चौक – सराय काले खां – रिंग रोड – राजघाट – रिंग रोड – चौक यमुना बाजार – एस.पी. मुखर्जी मार्ग – छत्ता रेल – कोड़िया पुल होते हुए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचें।

हालांकि, उत्तरी दिल्ली के लोगों के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा फिर भी यह सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और संभावित देरी से बचने एवं अपने गंतव्य पर समय पर पहुंचने के लिए पर्याप्त समय लेकर चलें।

### बसों के समापन बिन्दु

**सिटी बस सेवाओं का आवागमन निम्नलिखित स्थानों पर समाप्त हो जाएगा**

1. शिवाजी स्टेडियम
2. आईएसबीटी सराय काले खां
3. आर/ए कमला मार्केट
4. दिल्ली सचिवालय (आईजीआई स्टेडियम)
5. प्रगति मैदान (भैरों रोड)
6. हनुमान मंदिर (यमुना बाजार)
7. मोरी गेट
8. आईएसबीटी कश्मीरी गेट

### अंतर्राज्यीय बसें

(I) गाजियाबाद से शिवाजी स्टेडियम को आने वाली बसें एनएच–9 (एनएच–24), रिंग रोड से होकर भैरों रोड पर समाप्त होंगी।

(II) एनएच–9 (एनएच–24) से आने वाली बसें रोड नं. 56 पर दाहिने मुड़ेंगी और आईएसबीटी आनन्द विहार पर समाप्त होंगी।

(III) गाजियाबाद की तरफ से आने वाली बसें मोहन नगर से भोपुरा चुंगी की तरफ से वजीराबाद की तरफ मोड़ दी जाएंगी।

(IV) धौलाकुआँ की तरफ से आने वाली सभी अंतर्राज्यीय बसें धौलाकुआँ पर ही समाप्त होंगी।

### मेट्रो सेवाएं

23 जनवरी, 2021 को फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान सभी मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के लिए मेट्रो रेल सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। हालांकि, निम्नलिखित समय–सारणी के अनुसार नीचे वर्णित स्टेशनों पर चढ़ने/उतरने की अनुमति नहीं होगी :

| मेट्रो स्टेशन का नाम | चढ़ने/उतरने की अनुमति नही |
|---|---|
| केन्द्रीय सचिवालय }<br>उद्योग भवन } | 23.01.2021 को प्रात: 5.00 बजे से दोपहर 12 बजे तक |

### टीएसआर/टैक्सी

**23.01.2021 को 07.00 बजे के बाद किसी भी टीएसआर एवं टैक्सी को निम्नलिखित मार्गो से जुड़े एरिया में प्रवेश या चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी :**

**मदर टेरेसा क्रीसेंट – बाबा खड़क सिंह मार्ग आर/ए जीपीओ तक – अशोका रोड आर/ए पटेल चौक तक – संसद मार्ग टॉलस्टॉय मार्ग तक – टॉलस्टॉय मार्ग क्रॉसिंग तक – टालस्टाय मार्ग कस्तुरबा गांधी मार्ग क्रॉसिंग तक – कस्तुरबा गांधी मार्ग फिरोजशाह रोड क्रॉसिंग तक – फिरोजशाह रोड आर/ए मंडी हाउस तक – भगवान दास रोड मथुरा रोड क्रॉसिंग तक – मथुरा रोड सुब्रमणियम भारती मार्ग तक – सुब्रमणियम भारती मार्ग हुमायू रोड क्रॉसिंग तक– हुमायू रोड क्यू-प्वाइंट तक – ए.पी.जे. अब्दुल कलाम मार्ग – कमल अतातुर्क मार्ग – कौटिल्य मार्ग और सरदार पटेल रोड (कृपया नोट करें कि ये सभी मार्ग छोड़कर हैं)**

DP/9266/2021

### आम जनता के लिए दिशा निर्देश

- किसी भी लावारिस वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति को देखने पर तुरंत अपने नजदीक ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को सूचित करें।
- 20.01.2021 से 15.02.2021 तक (दोनों दिवस शामिल) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के क्षेत्राधिकार के ऊपर उप पारंपरिक एरियल प्लेटफार्म जैसे पैरा–ग्लाइडर्स, पैरा मोटर्स, हैंग ग्लाइडर्स, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट द्वारा चालित एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के संचालित एयरक्राफ्ट, क्वाडकॉप्टर्स उड़ाना या एयरक्राफ्ट आदि से पैरा जम्पिंग करना प्रतिबंधित है।
- आम जनता और वाहन चालकों से अनुरोध है कि संयम बनाए रखें, यातायात नियमों का पालन करें और सड़क पर अनुशासन बनाए रखें तथा सभी चौराहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें। आम जनता से अनुरोध है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और पर्याप्त समय लेकर चलें।

**ट्रैफिक प्रहरी बनें** Google Play या App Store से डाउनलोड करें **24 घंटे यातायात हेल्पलाइन: 011-25844444/1095** **पुलिस को सूचना देने के लिए कॉल करें - 1090** **तुरंत पुलिस सहायता के लिए कॉल करें - 112**

www.readwhere.com